



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

FT 9923

पंजीकृत

संदर्भ संख्या.....सी-1/एन/एनओसी-1083/2014 / 1 दिनांक..... 13-10-14

सेवा में,

मै0 सोलरीज रियलटेक प्रा0लि0, (SRPL)

46, साउथ गनेश नगर, पतपर गंज रोड,

नई दिल्ली - 110 092

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/कर्मस्त-इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

(क) स्थल:- "सोलरीज रियलटेक", प्लॉट नं0- जीएच-16 बी, सेक्टर- 01, ग्रेटर नोएडा

(ख) उत्पादन:-प्रस्तावित 10000.10 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्डअप एरिया 52645.163 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण।

ग) मुख्य कच्चे माल:- बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा:- 103 के0एल0डी0

(ङ) प्रयुक्त ईंधन:- 1010 के0वी0ए0 के 02 डी0जी0सेट हेतु

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्राह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।
- 5- मै0 सोलरीज रियलटेक प्रा0लि0 (SRPL) "सोलरीज रियलटेक" जो 10000.10 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल में है, के अन्तर्गत बिल्डअप एरिया 52645.163 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण किया जाये। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- 6- संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 103 के0एल0डी0 घरेलू उत्प्राह के शुद्धिकरण हेतु 130 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जायेगा।
- 7- संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी0जी0 सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।
- 8- सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम0एस0डब्ल्यू0 रूल्स 2000 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
- 9- म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जाये।
- 10- समस्त प्रस्तावित डी0जी0 सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्रस्तावनुसार चिमनी भी स्थापित की जाये।
- 11- संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।
- 12- संस्था नियमानुसार कम से कम 33 प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।
- 13- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।
- 14- संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त किया जाये।
- 15- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पाँच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।
- 16- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा0 न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों/स्वीकृतियों के अधीन होगी।
- 17- उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्राह परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिवोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नहीं डाला जायेगा।


मै0 सोलरीज रियलटेक प्रा0लि0(SRPL) "सोलरीज रियलटेक"

प्लॉट नं0- जीएच-16 बी, सेक्टर- 1, ग्रेटर नोएडा

- 18- परियोजना हेतु सिंचाई विभाग से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने कि परियोजना स्थल यमुना नदी फ्लड प्लान के अंतर्गत नहीं आता है, के उपरान्त ही यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विधिमान्य होगा।
- 19- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ओखला बर्ड सेन्चुरी के निकट इको सेन्सिटिव जोन के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में परियोजना स्थल इको सेन्सिटिव जोन के अंतर्गत आने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 20- संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक-एफ-49602/सी-1/एन0ओ0सी0/1083/2014, दिनांक 01.10.14 का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.11.14 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय



(जे0एस0 यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0.

एन0ओ0सी0

तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।


मुख्य पर्यावरण अभियंता
वृत्त-1